**भारत सरकार**

**सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 1894**

**उत्तर देने की तारीख : 22.09.2020**

**गौण ऋण हेतु क्रेडिट गारंटी योजना**

**1894. श्री पिनाकी मिश्राः**

**श्री एम.वी.वी. सत्यनारायणः**

**श्री तालारी रंगैय्याः**

**डॉ. बी. सेट्टी वेंकट सत्यवतीः**

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गौण ऋण हेतु क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएसएसडी) से लाभान्वित होने वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की संख्या कितनी है;

(ख) अब तक इस योजना का लाभ प्राप्त करने वाले एमएसएमई की वर्गीकरण सहित संख्या कितनी है और इस योजना के अंतर्गत शामिल करने हेतु मापदण्ड का ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके तहत जारी गौण ऋण की राशि कितनी है जिसकी सूक्ष्म और लघु उद्यमों को क्रेडिट गारंटी निधि न्यास द्वारा गारंटी प्रदान की जाएगी;

(घ) इस प्रयोजन हेतु संकटग्रस्त एमएसएमई हेतु संकटग्रस्त आस्ति निधि-गौण ऋण में जमा की गई राशि कितनी है;

(ङ) क्या जमा की गई राशि पर्याप्त है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सहकारिता बैंक योजना के अंतर्गत ऋण दे सकते हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) क्या सीजीएसएसडी के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले ऋण का उपयोग पुनर्गठन के प्रयोजन हेतु एमएसएमई कंपनियों में इक्विटी निवेश को बढ़ाने के लिए किया जाएगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री**

**(श्री प्रताप चन्द्र षडङ्गी)**

(क) से (ङ) : सरकार ने पात्र इकाइयों के प्रवर्तकों को उधार के तौर पर योजना में 20,000 करोड़ रुपए समावेशित करने के लिए सीजीएसएसडी को अनुमोदित किया है और इस योजना में लगभग 2 लाख इकाइयों को शामिल किए जाने की संभावना है। भारत सरकार 'संकटग्रस्त परिसंपत्ति निधि' में 4000 करोड़ रुपए चरणबद्ध रूप में प्रदान करेगी जिसे सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों हेतु क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट द्वारा ऋणदाता संस्थाओं को गारंटी देने के लिए संचालित किया जाएगा।

(च) : यह योजना केवल अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ही लागू है।

(छ) : इस योजना का उद्देश्य ऐसे दबावग्रस्त एमएसएमई नामतः एसएमए-2 और एनपीए खातों के प्रवर्तकों को ऋणदाता संस्थाओं के माध्यम से क्रेडिट की सुविधा प्रदान करना है जोकि ऋण दाता संस्थाओं की बहियों संबंधी भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार पुनर्गठन के लिए पात्र हैं। प्रवर्तक इस क्रेडिट को एमएसएमई में अर्द्ध इक्विटी अथवा अधीनस्थ ऋण के तौर पर समावेशित करेगा। इससे दबावग्रस्त इकाइयों (एसएमए-2 और एनपीए) को पुनर्जीवित करने में सहायता मिलेगी।

****